संख्या- /2017/ /पॉच-6-2017-5(34)/11

प्रेषक

अवधेश कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,
उ0प्र0, लखनऊ ।

चिकित्सा अनुभाग-6

लखनऊ : दिनांक 17 मार्च, 2017

विषय:-वित्तीय वर्ष 2016-17 में जनपद जौनपुर में आधुनिक पोस्टमार्टम हाउस (08 बाडी) के भवन निर्माण कार्य के लिये रू0-87.19 लाख की प्रशासनिक एवं रू0-43.60 लाख की वित्तीय स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधीक्षण अभियन्ता के पत्र संख्या-10770/17फ/नि0नि0अ0/2016-17, दिनांक 18.11.2016 तथा शासनादेश संख्या-984/पॉच-6-16-5(34)/11 दिनांक 12.08.2016 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश दिनांक 12.08.2016 द्वारा प्रश्नगत आधुनिक पोस्टमार्टम हाउस (08 बाडी) के लिये पूर्व में नामित कार्यदायी संस्था उ0प्र0 राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ लिमिटेड को अवमुक्त धनराशि रू0-7.50 लाख को ब्याज सहित विभाग को वापस करते हुए उक्त निर्माण कार्य के लिये उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम को कार्यदायी संस्था नामित किया गया है।

2- उक्त शासनादेश दिनांक 12.08.16 के अनुपालन में उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम द्वारा उपलब्ध कराये गये आगणन के परीक्षणोपरान्त अधीक्षण अभियन्ता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें के पत्र दिनांक 18.11.16 द्वारा की गयी संस्तुति के अनुसार जनपद जौनपुर में आधुनिक पोस्टमार्टम हाउस (08 बाडी) के भवन निर्माण कार्य के लिये रू0-87.19 लाख (रूपया सत्तासी लाख उन्नीस हजार मात्र) की प्रशासनिक एवं रू0-43.60 लाख (रूपया तिरालिस लाख साठ हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए आपके निवर्तन पर रखे जाने की निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(1) वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22.03.16 तथा शासनादेश संख्या-984/पॉच-6-16-5(34)/11 दिनांक 12.08.2016 में उल्लिखित दिशा निर्देशों/प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) उ0प्र0 राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ लिमिटेड को अवमुक्त धनराशि रू0-7.50 लाख से ब्याज सहित प्राप्त धनराशि को समायोजित करने के उपरान्त अवशेष द्वितीय किश्त धनराशि का वित्तीय स्वीकृति का प्रस्ताव ही उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। प्रश्नगत धनराशि प्राप्त करने का सम्पूर्ण दायित्व विभाग/कार्यदायी संस्था का होगा।

(3) अवमुक्त धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार करते हुए व्यय नियमानुसार किया जायेगा तथा उक्त धनराशि पी0एल0ए0/बैंक/डाक खाते में कदापि नहीं रखी जायेगी।

(4) व्यय वित्त समिति की शर्तो/प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

(5) प्रश्नगत निर्माण कार्य समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियॉ एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त करके ही आरम्भ किया जायेगा।

(6) प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप विभाग/कार्यदायी संस्था द्वारा स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथॉरिटी से स्वीकृत कराया जायेगा।

(7) मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था /विभाग का होगा।

(8) कार्य में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य बढ़ाना, कार्यों के आकार में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियॉ इस्तेमाल करना इत्यादि, व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा ।

(9) प्रायोजनान्तर्गत् प्रस्तावित कार्यों की डूप्लीकेसी को रोकने की दृष्टि से यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(10) प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य कराया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी विभाग की होगी।

(11) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु निर्गत की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा।

(12) कार्यदायी संस्था द्वारा प्रश्नगत निर्माण कार्य को शीघ्र पूर्ण कर विभाग को हस्तगत कर दिया जायेगा तथा इस हेतु उन्हें भविष्य में कोई लागत वृद्धि अनुमन्य नहीं की जायेगी।

(13) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य किसी अन्य योजना में शामिल नहीं है और इस हेतु किसी अन्य स्रोत से वित्त पोषण नहीं प्राप्त है अथवा किया जायेगा।

(14) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृतियों की पुनरावृत्ति न हो।

3- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय व 2016-2017 में अनुदान संख्या-32 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक 4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-01-शहरी स्वास्थ्य सेवायें-110-अस्पताल तथा औषधालय -10-चीरघर का निर्माण-24-वृहद् निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22.03.16 के द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारों के तहत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

(अवधेश कुमार पाण्डेय)
विशेष सचिव।

संख्या-73 /2017/2830 (1)/पॉच-6-2016 तददिनांक

प्रतिलिप निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- वित्त नियंत्रक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ ।
4- निदेशक (चिकित्सा उपचार), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ ।
5- अपर निदेशक (नियोजन/बजट/विद्युत) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य उ0प्र0, लखनऊ।
6- संबंधित मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण ।
7- जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, जौनपुर ।
8- अधीक्षण/अधिशासी अभियन्ता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ ।
9- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जौनपुर ।
10- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम, लखनऊ ।
11- अपर परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम, जौनपुर ।
12- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2/ नियोजन अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन ।
13- कार्यालय आदेश पुस्तिका।
14- प्रशासकीय स्वीकृति की एक प्रति मूल पत्रावली में।
15- विभागीय वेबमास्टर ।

आज्ञा से

(राम नगीना मौर्य)
संयुक्त सचिव।

संख्या- /2017/ /पाँच-6-2017-11(जी.)/17

प्रेषक

अवधेश कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,
उ0प्र0, लखनऊ ।

चिकित्सा अनुभाग-6 लखनऊ : दिनांक 17 मार्च, 2017

विषय:-वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या-32 के अन्तर्गत राज्य कर्मचारियों की असाध्य बीमारी के उपचार हेतु कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये जाने के लिये प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-17फ/नि0ब0/2016-17/328, दिनांक 15.02.2017 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या-32 के अन्तर्गत राज्य कर्मचारियों की असाध्य बीमारी के उपचार हेतु कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये जाने के लिये रू0-25.00 लाख (रूपया पच्चीस लाख मात्र) की प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए आपके निवर्तन पर रखे जाने की निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(1) वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22.03.16 में उल्लिखित दिशा निर्देशों/प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
(2) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु निर्गत की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा।
(3) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य किसी अन्य योजना में शामिल नहीं है और इस हेतु किसी अन्य स्रोत से वित्त पोषण नहीं प्राप्त है अथवा किया जायेगा।
(4) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृतियों की पुनरावृत्ति न हो।

2- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय व 2016-2017 में अनुदान संख्या-32 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक 2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-आयोजनागत-01-शहरी स्वास्थ्य सेवायें-एलोपैथी-110-अस्पताल तथा औषधालय -08 राज्य कर्मचारियों की असाध्य बीमारी के उपचार हेतु कैश-लेस चिकित्सा सुविधा-42-अन्य व्यय के नामें डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22.03.16 के द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारों के तहत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

(अवधेश कुमार पाण्डेय)
विशेष सचिव।

संख्या- 72 /2017/ 301 (1)/पॉच-6-2017, तददिनांक

प्रतिलिप निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- वित्त नियंत्रक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ ।
4- निदेशक (चिकित्सा उपचार), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ ।
5- अपर निदेशक (नियोजन/बजट) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य उ0प्र0, लखनऊ।
6- संबंधित कोषाधिकारी ।
7- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, चतुर्थ तल, नवचेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, हजरतगंज, लखनऊ ।
8- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2/ नियोजन अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन ।
9- कार्यालय आदेश पुस्तिका।
10- प्रशासकीय स्वीकृति की एक प्रति मूल पत्रावली में।
11- विभागीय वेबमास्टर ।

आज्ञा से

(राम नगीना मौर्य)
संयुक्त सचिव।